



५९३।।

दरमाप 2286708
2286710

नव बला कंच 10 अशोक मार्ग, दादरनक 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : प५९३/०५/७६/एक/२०१५-१६
सेवा में

दिनांक : २६ मार्च २०१६

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-रामपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (हूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मालिन वसितियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

गहोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मालिन वसितियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	०९३२०००१०५०३४४३६	IFSC Code PUNB0093200	४१.१७५
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मालिन	निकाय का नाम	वस्ती/वाड़ का नाम	द्वितीय किसी की धनराशि का प्रेषण
१	रामपुर	अल्पसंख्यक-३७ बजट	०१०५००५० रामपुर	रोजनी नानकार रो नैनीताल हाइवे विलासपुर गेट तक नाली निर्माण कार्य।	४१.१७५
	गाम				४१.१७५

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मालिन वसितियों में रु०१०१००.०० रु० अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु रु०१०१०००.००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में समर्पित प्रावधानी में रखा जायें।

- १- ०१०५० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मालिन वसितियों में रु०१०१००.०० रु० अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु रु०१०१०००.००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में समर्पित प्रावधानी में रखा जायें।
- २- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित रखापि' कर और रु०१०० देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा दक्षायन न कर लिया जाये।
- ३- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त करनी जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- ४- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि रखीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। जिससे कि शारकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तकाल अभिकरण गुरुत्वालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ५- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जाये उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाच्यता के अन्तर्गत योग्य कोई रखीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- ६- प्रश्नगत परियोजनाओं में रखीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय उस्तपुरितका के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- ७- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को उस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुदाय रख-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिराम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।



593/2

दूरभाष—2286709
2286710

नव सेतना कंप्ल. 10 अशाक गार्ड, लखनऊ—220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अधिक के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देख होगा।
- 9— उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्णों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं रवीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हों जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम कंद्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटीती सम्बन्धी अधिकारी विधेक प्रतिवर्णों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उरी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह रवीकृत की गई है। इसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमय न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जी रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण गुणवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगमन के सापेक्ष हितीय किश्त की धनराशि अवमुक्ता की गई है जिसमें अनुमय सेन्ट्रेज की धनराशि सूचे हितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्ताप्रकर कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति रहित निर्धारित प्रपञ्च पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

मर्दीय,

(लाल प्रताप सिंह)
विद्या नियंत्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रामविभूत जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा।।
4. कम्युटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।।

(लाल प्रताप सिंह)
विद्या नियंत्रक